

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान मोहलत सिंह बनाम मैकेन्ड कुमार आदि

प्रकरण संख्या 60 / 2018 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम जो पाल
6 ² / ₂₅	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रूक आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA अदम पेशवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगति होकर नम्बर से कम होकर वापिस दफ्तर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर